

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Declared as Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act 1956)
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram – 695 547

आईआईएसटी/IIST:VC:2026

07th July, 2026

कार्यालय आदेश सं / OFFICE ORDER No.865

विषय: आईआईएसटी में एससी/एसटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार समिति का पुनर्गठन - से संबंधित

Sub: Re-Constitution of SC/ST Cell and Advisory Committee at IIST - reg.

संदर्भ: कार्यालय आदेश संख्या 800 दिनांक 6 नवंबर 2024 - से संबंधित।

Ref: Office Order No. 800 dated 6th November 2024 - reg:-

I. एससी / एसटी प्रकोष्ठ / SC / ST CELL

डीन के पदों में हाल में हुई परिवर्तन के परिणामस्वरूप तथा संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं छात्रों से संबंधित मामलों एवं शिकायतों के प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, आईआईएसटी के एससी/एसटी प्रकोष्ठ को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:

Consequent upon the recent changes in the Deanship and to ensure the effective resolution of affairs and grievances related to SC/ST employees and students of the Institute, the SC/ST Cell of IIST is hereby reconstituted as follows:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Dr. K S S Moosath (Dean (Student Activities/Outreach)) | - Chairman |
| • Dr. Seena V | - Member |
| • Dr. P. Chakravarthy | - Member |
| • Dr. K. Sakthivel | - Member |
| • Shri. M Narasimha Murthy | - Member |
| • Shri. V. Satish Kumar | - Member |
| • Shri T S Thilakan | - Member |
| • Shri. Pradeep Kumar K R | - Member |
| • Shri A. Abdunnasar, Liason Officer for SC/ST | - Member Secretary / Convenor |

एससी/एसटी प्रकोष्ठ / The SC/ST Cell shall:

- (a) यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश में एससी/एसटी छात्रों के आरक्षण पर ध्यान देगा।/Look into reservation of SC/ST students in admission to Undergraduate and post Graduate courses in the Institute as per UGC guidelines.

- (b) जहां भी लागू हो, अंतरिक्ष विभाग/इसरो के आदेशों, नियमों व विनियमों के अनुसार पदों/संवर्गों में एससी/एसटी कर्मचारियों के आरक्षण पर विचार करेगा। Look into reservation of SC/ST employees in the posts/cadres wherever applicable as per the orders, rules and regulations of Department of Space/ISRO.
- (c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/शिक्षकों/अध्यापकेतर कर्मचारियों से उनके प्रवेश, भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य समान मामलों से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों तथा भेदभावपूर्ण शिकायतों का निपटारा करेगा, कुलसचिव को उपचारी सिफारिश प्रस्तुत करेगा तथा एक शिकायत पंजी बनाए रखेगा। Deal with representations and discriminating complaints received from the SC/ST Students/Teachers/Non-Teaching staff regarding their admission, recruitment, promotion and other similar matters and submit remedial recommendations thereof to Registrar and maintain a complaint register.
- (d) परिसर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सुझाव / सिफारिशें देगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें और परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकें।
Make suggestions/recommendations to provide congenial atmosphere in the campus to SC/ST students to concentrate on their studies for their successful passing in the examinations.
- (e) संस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा तथा उनकी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को हल करने में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। / Function as a Grievances Redressal Cell for the grievances of SC/ST students and employees of the Institute and render them necessary help in solving their academic as well as administrative problems.
- (f) उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक वंचनाओं से पीड़ित इन दोनों समुदायों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हों। / Focus on activities to promote higher education among these two communities suffering economic, social and educational deprivations.
- (g) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के बाद अभिमुखीकरण और क्षमता निर्माण सत्र प्रदान करने के लिए सभी विषयों के विभागाध्यक्षों के साथ संपर्क करेगा। /Liaison with Heads of Departments in all discipline to provide post admission orientation and capacity building sessions to SC/ST students.

(h) डॉ. बी. आर. अंबेदकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन करेगा तथा परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार यथासंभव बार-बार बैठक बुलाएगा ।

Organise Dr. B R Ambedkar Birthday celebrations & anniversary Programmes. SC/ST Cell may meet as often as possible depending on the situation and the need.

II. सलाहकार समिति/ ADVISORY COMMITTEE

संस्थान में एससी/एसटी कर्मचारियों एवं छात्रों के कल्याण हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

For effective implementation of policies and programmes for the welfare of the SC/ST employees and students in the Institute, an Advisory Committee is constituted as under:

1. Pro-Vice Chancellor	-	Chairman
2. Registrar	-	Member
3. All the Deans	-	Members
4. All the HoDs	-	Members
5. Liaison Officer for SC/ST	-	Convenor

सलाहकार समिति, अन्य बातों के साथसाथ-, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी ताकि वे परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकें और अन्य संबंधित मुद्दों का समाधान हो सके।

समिति अपनी सिफारिशें मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए आईआईएसटी के कुलपति को सौंपेगी।

Advisory Committee will, inter-alia, review capacity building programmes for SC/ST students for their successful passing in examinations and for other related issues.

The committee shall submit its recommendations to Vice Chancellor, IIST for approval and implementation.



(दिपांकर बनर्जी / Dipankar Banerjee)

कुलपति/Vice Chancellor

सेवा में / To: एससी/एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं सदस्य

Chairman and Members of SC/ST Cell

सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य

Chairman and Members of Advisory Committee

प्रतिलिपि / Cc: सभी डीन/ सह डीन/ विभागाध्यक्ष /अधिकारिगण

Deans/Assoc. Deans/HoDs/Officers

मानक परिचालन / Standard circulation.